प्रेसनोट
दिनांक 08.09.2024

थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत हुई महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–316/24, धारा 103(1) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ अलाऊ (पति) पुत्र अय्यूब नि0 धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को ग्राम धर्मेई से गिरफ्तार कर आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.09.2024 को समय करीब 16:30 बजे ग्राम धर्मेई के पूर्व प्रधान द्वारा थाना इटियाथोक पर सूचना दी गयी कि उसके गांव की रहने वाली परवीन बेगम पत्नी अलाउद्दीन उर्फ अलाऊ पुत्र अय्यूब की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गले में वार कर हत्या कर दी गयी है। सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर पहुँचकर घटना स्थल की जांच की गयी तथा फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। मृतका के भाई शकील अहमद पुत्र खलील अहमद नि0 हर्रैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना इटियाथोक में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 इटियाथोक को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे तथा घटना के जल्द से जल्द अनावरण हेतु एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज दिनांक 08.09.2024 को थाना इटियाथोक व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन व इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ अलाऊ पुत्र अय्यूब को ग्राम धर्मेई से गिरफ्तार कर आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उसके व उसकी पत्नी के बीच आये दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। घटना वाले दिन दिनांक 05.09.2024 की सुबह खाना बनाने की बात को लेकर उसकी पत्नी (परवीन बेगम) से उसका विवाद हुआ था। विवाद के उपरान्त अभियुक्त बिना खाना खाये ई–रिक्शा लेकर काम पर चला गया था। कुछ देर उपरान्त पुनः मोबाइल से खाना खाने की बात को लेकर पति–पत्नी के बीच विवाद हुआ। जिसमें पत्नी द्वारा फोन पर पति को काफी भला–बुरा कहा गया। अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ अलाऊ लगभग 1:00 बजे पुनः घर वापस आया और पत्नी को सोता देखकर गुस्से में किचन से चाकू लेकर अपनी पत्नी के गले में वार कर उसकी हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अलाउद्दीन उर्फ अलाऊ पुत्र अय्यूब नि0 धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–316/24, धारा 103(1) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. आलाकत्ल चाकू।
02. खूनालूदा कपड़े।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 दुर्ग विजय सिंह थाना इटियाथोक।
02. व0उ0नि0 गोपाल सिंह।
03. उ0नि0 धर्मराज शर्मा।
04. हे0का0 दिनेश मद्देशिया।
05. हे0का0 संजय निषाद।
06. का0 आदित्य राय।
07. का0 शशांक द्विवेदी।
08. एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2024

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार बरामद-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-668/2024, धारा 70(2), 352 बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों 01. मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद उमर निवासी पंतनगर फोरबिसगंज थाना कोतवाली नगर गोंडा, 02. मोहम्मद रिजवान पुत्र असगर अली निवासी भगवतीगंज चीनी मिल थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को सद्भावना चौकी के पास से गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार UP32EZ0223 बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 08.09.2024 को को0नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई की दिनांक 07.09.2024 की रात्रि में मो0 आरिफ पुत्र मो0 उमर निवासी पंतनगर फोरबिसगंज थाना को0 नगर गोंडा तथा मो0 रिजवान पुत्र असगर अली निवासी भगवतीगंज चीनी मिल थाना को0 नगर जनपद गोंडा द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को कार में बिठाकर मोबाइल का लालच देकर सामूहिक दुराचार किये है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0-668/2024, धारा 70(2), 352 बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 01. मोहम्मद आरिफ व 02. मोहम्मद रिजवान के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था । घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 08.09.2024 को थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तों 01. मोहम्मद आरिफ व 02. मोहम्मद रिजवान को सद्भभावना चौकी के पास से घटना के 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर उनके निशादेही पर 01 अदद कार UP32EZ0223 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद उमर निवासी पंतनगर फोरबिसगंज थाना कोतवाली नगर गोंडा।
02. मोहम्मद रिजवान पुत्र असगर अली निवासी भगवतीगंज चीनी मिल थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-668/2024, धारा 70(2), 352 बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार UP32EZ0223 बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिनेश राय
02. हे0का0 राजकरन यादव
03. का0 पीयूष गोस्वामी
04. का0 दीपक कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 08.09.2024, थाना धानेपुर</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना को0तरबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा बरामद-</u>

<u>कार्यवाहीः-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा) के साथ अभियुक्त सुरेश तिवारी पुत्र स्व0 बाबूराम तिवारी निवासी ग्राम जिगिरिया मौजा ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0स0- 249/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 01.07.2024 को थाना धानेपुर के उ0नि0 राजेश कन्नौजिया मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम ख्वाजाजोत में अवैध गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (01 किलो 970 ग्राम गाँजा) बरामद कर अभियुक्त सुरेश तिवारी पुत्र स्व0 बाबूराम तिवारी निवासी ग्राम जिगिरिया मौजा ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0स0- 249/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. सुरेश तिवारी पुत्र स्व0 बाबूराम तिवारी निवासी ग्राम जिगिरिया मौजा ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0- 249/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 किलो 970 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 राजेश कन्नौजिया
02. हे0का0 अम्बरीश मिश्रा
03. का0 अनिरूद्ध बहादुर सिंह

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
श्री गंगाधर शुक्ला, श्रीमती संतोष ओझा, श्री शाशी कुमार भारती, श्री राजमंगल मौर्या, श्री यशोदानन्दन त्रिपाठी, श्रीमती राधा रानी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती प्रतीभा सिंह, म0का0 अर्चना मौर्या, म0का ज्योति राजभर आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2024, थाना को0कर्नलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा पेंशन दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लोन निकालने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्नलंगज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-144/24, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली कर्नलगंज से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हुसैन अली उर्फ राजू पुत्र मुसीबत अली निवासी बरबटपुर करनैलगंज जनपद गोण्डा को कर्नलगंज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी जाकिर पुत्र शमसेर निवासी बरबटपुर थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज को सूचना दिया विपक्षी राजू उर्फ हुसैन अली पेंशन दिलाने के बहाने बैंक की मिली भगत से धोखाधड़ी, कूटरचित कर आधार कार्ड संशोधन कराकर नाम बदलकर व गुमराह करके बैंक से लोन निकाल लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0कर्नलंगज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था । आज दिनांक 08.09.2024 को थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त हुसैन अली उर्फ राजू पुत्र मुसीबत अली निवासी बरबटपुर करनैलगंज जनपद गोण्डा को कर्नलंगज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हुसैन अली उर्फ राजू पुत्र मुसीबत अली निवासी बरबटपुर करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-144/24, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सरफराज खाँ मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।